

विभाग का नाम - महिला एवं बाल विकास विभाग (मुख्यालय), दिल्ली सरकार
विभाग का पता- पहला तल, आई.एस. बी.टी. बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006
अतारांकित प्रश्न संख्या-209

दिनांक :-29/03/2022

प्रश्नकर्ता का नाम- माननीया विधायिका श्रीमती राजकुमारी ढिल्लों
क्या माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

प्रश्न	उत्तर
क) दिल्ली में प्राकृतिक या दुर्घटना में मौत के उपरान्त अनाथ हुए बच्चों के लिए सरकार की क्या-क्या योजनायें हैं:	दिल्ली में प्राकृतिक या दुर्घटना में मौत के उपरान्त जरूरतमंद बच्चों के लिए सरकार की निम्नलिखित सुविधाएं हैं : <ul style="list-style-type: none">• 20 सरकारी और 73 गैर सरकारी बाल संरक्षण ग्रह जहा पर जरूरतमंद बच्चों को संरक्षण चिकित्सा, मनोरंजन शिक्षा आदि सुविधाएं प्रदान की जाती है।• इसके अलावा फोस्टर केयर (Foster Care), फिट पर्सन (Fit Person) का भी प्रावधान है।• बाल कल्याण समिति के आदेश के अनुसार जरूरतमंद बच्चों के लिए आई.सी.पी.एस स्कीम के अंतर्गत स्पॉन्सरशिप स्कीम की सुविधा उपलब्ध हैं।
ख) क्या नॉन कोविड केस में अनाथ हुए बच्चों के लिए किसी प्रकार की आर्थिक मदद (पेंशन) की सुविधा है;	जी हाँ ।
ग) यदि हाँ, तो इसका विवरण दें, और	बाल कल्याण समिति के आदेश के अनुसार जरूरतमंद बच्चों के लिए आई.सी.पी.एस स्कीम के अंतर्गत स्पॉन्सरशिप स्कीम की सुविधा का प्रावधान हैं ।
घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस बारे में कोई योजना बना रही है?	लागू नहीं।



संयुक्त -निदेशक

(बाल संरक्षण इकाई)
KIRAN GANDHI

Joint Director

Tech (WCD)

Department of Women & Child Development
GNCTD Delhi

महिला एवं बाल विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
कश्मीरी गेट, आई एस बी टी बिल्डिंग
दिल्ली - 110006

File No 61(1726)/Vidhan Sabha-209/DD (CPU)/DWCD/2021-22/4221

Dated:-

सेवा में,
उपसचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधानसभा सचिवालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली- 110054

25 MAR 2022

विषय: अतारांकित प्रश्न संख्या:- 209 के दिनांक 29.03.2022 के उत्तर के संबंध में।

प्रश्नकर्ता का नाम:- श्रीमती राजकुमारी ढिल्लों

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या- 209 के उत्तर की 150 प्रतियां इस पत्र के द्वारा आपको प्रेषित की जा रही हैं।

यह उत्तर माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा अनुमोदित है। उत्तर की प्रतिलिपि की pdf फाइल questionbranchlas@gmail.com पर मेल कर दी गयी है तथा pendrive में भी दी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्त

भवदीया

संयुक्तनिदेशक (सी पी यू शाखा)

File No 61(1726)/Vidhan Sabha-209/DD (CPU)/DWCD/2021-22/4221

सूचनार्थ प्रेषित :

Dated:-

Department of Women & Child Development

GNCTD Delhi

25 MAR 2022

- 1) माननीय महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार दिल्ली - 54
- 2) निदेशक सूचना एवं प्रचार निदेशालय पुराना सचिवालय, ब्लॉक-9, दिल्ली- 54 (150 प्रतियां संलग्न हैं)
- 3) प्रधान सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग, कश्मीरी गेट, आई एस बी टी बिल्डिंग, दिल्ली - 110006

संयुक्तनिदेशक (सी पी यू शाखा)

Joint Director
Tech (WCD)

Department of Women & Child Development